386

87

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:- मोमिन (मुस्लिम)जाति के साथ शेख, जुलहा, अंसारी को सम्बद्ध करने के संबंध में ।

मोमिन (मुस्लिम)जाति का उल्लेख बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो के लिये) अधिनियम, 1991 (झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या-3389 दिनांक 22.9.2001 से अंगीकृत) की अनुसूची-1, अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची में कमांक-94 पर मोमिन (मुस्लिम) जाति का उल्लेख है ।

2- मोमिन (मुस्लिम) जाति के साथ शेख, जुलहा एवं अंसारी को सम्बद्ध करने हेतु जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से आवश्यक जांच एवं मंतव्य प्राप्त किया गया । उल्लेखित संस्थान ने अनुशंसा की है कि शेख, जुलहा एवं अंसारी उपाधि धारक मोमिन (मुस्लिम) जाति के सदस्य जिनका खतियानों में जाति के रूप में शेख, जुलहा या अंसारी दर्ज हो गया है, मोमिन (मुस्लिम) समुदाय के ही सदस्य हैं ।

3- उपरोक्त कंडिका-2 में संस्थान की अनुशंसा पर कल्याण विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4- अतः बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 (झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा 14-अ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 के कमांक-94 को निम्न प्रकार गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

<u>अनुसूची-1</u> कमांक-94- मोमिन (मुस्लिम) (शेख, जुलहा, अंसारी) ।

आदेश :- (i) आदेश है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 1991 (झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत) की अनुसूची-1 उपरोक्त अंश तक संशोधित माना जाये ।

(ii) आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/झा0वि0स0-26/2002का0-801/ राँची, दिनांक-11 फरवरी, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायें ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-7/झा0वि0स0-26/2002का0-801/ राँची, दिनांक-11 फरवरी, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ प्रभारी सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय/झारखंड लोक सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।